

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

परिषद, लखनऊ  
50 / सं०श०/२०  
दिनांक 24/7/17

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-सं०नि०(उ०शि०)/एकल स्था०/14/2017-18 दिनांक 03-05-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	श्रीमती कुसुमलता, पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवक्ता), विवेकानन्द ग्रामोद्योग महाविद्यालय, दिबियापुर, औरैया।	पुस्तकालयाध्यक्ष प्रवक्ता	श्री रामेश्वरदास अग्रवाल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हाथरस।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता)  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था०-17(1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (2) कुलसचिव, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक, औरैया/हाथरस।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
- (5) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (8) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(कृष्ण मकरन्द सिंह)

अनु सचिव।

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश शासन  
संख्या So / 19/3/2017/2016  
दिनांक 24/7/17

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-सं०नि०(उ०शि०)/एकल०स्था०/17/2017-18 दिनांक 17-05-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेन्ट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा० (श्रीमती) आभा सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, सी०एस०एन (पी०जी०) कालेज, हरदोई।	शिक्षा शास्त्र विभाग	जगदीश शरण हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरोहा।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0-19(1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (2) कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई/अमरोहा।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- (5) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (8) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(कुँवर मकरन्द सिंह )  
अनु सचिव।

Anand / Gony  
24-7-17

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

संख्या 50  
दिनांक 24/7/17

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-सं0नि0(उ0शि0)/एकल0स्था0/55/2017-18 दिनांक 24-05-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा0 संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, गांधी स्मारक पी0जी0 कालेज समोधपुर, जौनपुर।	रसायन विज्ञान विभाग	तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0-20(1) / सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
- (2) जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- (4) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(कुँवर मकरन्द सिंह )  
अनु सचिव।

गुप्ता/6074  
24.7.17

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

संख्या 50  
दिनांक 24/7/17

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-सं0नि0(उ0शि0)/एकल0स्था0/58/2017-18 दिनांक 29-05-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित एसोसिएट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा० प्रदीप कुमार दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत, अकबरपुर महाविद्यालय, कानपुर देहात।	संस्कृत	विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कालेज, कानपुर नगर।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता)  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0-21(1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (2) जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर देहात/कानपुर नगर।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
- (4) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से  
जुलाई  
(कूँवर मकरन्द सिंह)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-सं0नि0(उ0शि0)/एकल0स्था0/61/2017-18 दिनांक 29-05-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के सदर्थ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा0 रजनीश कुँवर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डी0एस0एस0टी0 विभाग, राजा बलवन्त सिंह कालेज, आगरा।	डी0एस0एस0टी0 विभाग	सकलडीहा पी0जी0 कालेज, सकलडीहा, चन्दौली।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0-22(1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
- (2) कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा/चन्दौली।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- (5) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (8) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से  
उत्तर

(कुँवर मकरन्द सिंह)  
अनु सचिव।

महोदय/सचिव  
24.7.17

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ  
संख्या 50/सं0सि0प0/21  
दिनांक 24.07.17

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 21 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-सं0नि0(उ0शि0)/एकल0स्था0/73/2017-18 दिनांक 01-06-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित एसोसिएट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा0 धनन्जय शरण, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी0एस0एम0 डिग्री कालेज, कांठ, मुरादाबाद।	अर्थशास्त्र।	हिन्दू कालेज, मुरादाबाद।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्या पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0-24(1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
- (2) जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।।
- (4) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,  
(कुँवर मकरन्द सिंह)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

20/0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ,  
दिनांक 50 / 20/0/20/0/20  
दिनांक 24-07-17

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-संनि0(उ0शि0)/एकल0स्था0/82/2017-18 दिनांक 01-06-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा० पूजा सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, मुन्ना लाल जय नारायण खेमका गर्ल्स पी०जी० कालेज, सहारनपुर।	अर्थशास्त्र।	डी०ए०वी० कारतेज, कानपुर नगर।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0-27(1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (2) कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर/कानपुर।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
- (5) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (8) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,  
(कृष्ण मेकरन्द सिंह)  
अनु सचिव।

मन्त्रालय/संज्ञा  
24.7.17

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

संख्या 50/2017-स्था0(01)/2  
दिनांक 24.07.17

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-सं0नि0(उ0शि0)/एकल0स्था0/79/2017-18 दिनांक 01-06-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	श्री अजीत कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय मवाना, मेरठ।	अर्थशास्त्र	एम0एम0एच0 कालेज, गाजियाबाद।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता )  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0-26(1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (2) जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (4) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से  
जुगल  
(कुँवर मकरन्द सिंह)  
अनु सचिव।  
G.O.HES

Handwritten signature and date: 24-7-17



प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

उ०प्र० राज्य शासन, इलाहाबाद,  
संख्या 50/शास०शि०/2,  
दिनांक 24.07.17

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 2 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-सं०नि०(उ०शि०)/एकल०स्था०/76/2017-18 दिनांक 01-06-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा० जयशंकर तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी, मथुरा प्रसाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंच, जालोन।	हिन्दी	लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोण्डा।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता)  
विशेष सचिव।

संख्या:- स्था0-27(1)/सत्तर-3-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
- (2) कुलसचिव, डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक, जालोन/गोण्डा।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
- (5) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (8) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,  
जमाई  
(कृष्ण मकरन्द सिंह)  
अनु सचिव।